

कार्यालय टिप्पणी

न्यायालय सफखण्ड अधिकारी

विशदकन (जयपुर)

रज साका जय 10/2/20 US कोशल दुगा काँठ
मु० न० 51/2020 दावा. US 177 R/2020

02-08-20 यह वाद का तहसीलदार
विराटनगर को पेश किया। प्रकरण को
रखि हटा किया जाकर वास्तु तहसील
परिवार की दिनांक 08-7-20 को पेश हो।

सफखण्ड अधिकारी

विशदकन (जयपुर)

23-7-20 कोर्ट का पत्र के कारण का
एडमिनिस्ट्रेशन डाय न्यायिक कार्य स्थगित
रखा गया। गत आदेश की पालना में
दिनांक 17-9-20 को पेश हो।

सफखण्ड अधिकारी

विशदकन (जयपुर)

17-9-20 कोरोना वायरस के कारण का एडमिनिस्ट्रेशन
डाय न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया।
गत आदेश की पालना में दिनांक 29-9-20 को पेश
हो।

उपस्थित अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

29-9-20 पञ्जावली पेश हुई। पेटेकार सामान्य
उप तहसीलदार विराटनगर द्वारा पत्र प्रस्तुत
किया गया जो आज रिकार्ड पर लिखा जाता है।
वहस सुनी गयी जिसमें तर्क रहा कि प्रकरण
प्रकरण में परिवार की गणना द्वारा कि
भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि
प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के
तहत आवेदन किया गया है तथा जय-वाचान नम्बर
43065116 शशि 3,33,480 रुपये दिनांक 23-9-20
को राजकोष में प्रमा करा दी है अतः आगुप्त कार्यवाही
की जावे। हमने पञ्जावली का अवलोकन
किया तथा वहस व पत्र पर मसन किया अतः
सुत्राधिक रिपोर्ट प्रकरण को आगे चलाया जाने
का कोई न्यायवगल अनित्य प्रतीत नहीं होता है।
अतः प्रकरण इसी स्टेज पर रूपा किया जावे।

P.T.O

राज्य सरकार जयें कार्यालय काँडाल

उपखण्ड अधिकारी टिप्पणी कुमार सिंह

51/2020

विराटनगर (जयपुर)

दिनांक 05/11/2020

पत्रावली फलत युक्त होकर
नाम्बर से कम हो दारिद्र्य दर
होवे। निर्णय सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर) विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर) विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
(जयपुर) विराटनगर